बिहार सरकार

कृषि विभाग

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

किसान भाईयों/बहनों के लिए आवश्यक सूचना

खरीफ, 2016 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ उठायें

खरीफ, 2016 में अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति को देखते हुए धान बिचड़ा, धान रोपनी करने तथा धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों को डीजल चालित पम्पसेट से पटवन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।

योजना से लाभ :-

- दिनांक 18.07.2016 से 30.10.2016 तक खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए 30 रूपये प्रति लीटर की दर से 300 रूपये प्रति एकड़, प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जायेगा।
- यह अनुदान धान बिचड़ा के 2 सिंचाई, धान के 3 सिंचाई, मक्का एवं अन्य खरीफ फसल के 3 सिंचाई के लिए प्रति एकड़ अधिकत्तम 900/- रू० दिया जायेगा।

डीजल अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

- किसान अपने क्षेत्र के पंचायत सेवक/किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक के माध्यम से डीजल आवेदन पत्र को जमा करा सकेंगे। आवेदन पत्र के साथ कैशमेमो लगायें।
- किसान अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय में निर्धारित काऊँटर पर भी जमा कर सकते हैं।
- पंचायत सेवक/किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित किसान के खेत पर जाकर किया जायेगा।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पंचायतों से प्राप्त सत्यापित किसानों की सूची एवं भुगतेय डीजल अनुदान की राशि का प्रखंड स्तर पर संकलित सूची तैयार कर कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी।
- डीजल अनुदान राशि का भुगतान किसानों के खातों में RTGS / एकाउन्टपेयी चेक के माध्यम से किया जाएगा। वैसे किसान, जिनका बैंक में खाता नहीं है, वे अपना बैंक खाता खुलवा लें।
- बटाईदारों को भी डीजल अनुदान अनुमान्य है, उन्हें भू-लगान या अन्य कागजात आवेदन पत्र के साथ लगाने की आवश्यकता नहीं है।
- यदि किन्ही किसानों को अपने आवेदन के संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत होगी तो वे लिखित रूप में यह शिकायत डीजल अनुदान अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति के समक्ष रखेंगे, वे संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

➤ अधिक जानकारी के लिए किसान भाई/बहन अपने जिला के जिला कृषि पदाधिकारी से सम्पर्क करें।

किसान भाई/बहन से अनुरोध है कि पर्याप्त वर्षा नहीं होने की स्थिति में डीजल चालित पम्पसेट से सिंचाई कर अधिक-से-अधिक धान की रोपनी का कार्य सम्पन्न करें।

सिंचाई के लिए डीजल पर अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्र

डीजल का कैशमेमो यहाँ चिपकायें। यदि कैशमेमो आकार में बड़ा हो तो पिन लगाकर संलग्न करें।

1. पंचायत / नगर क्षेत्र............................ 2. प्रखंड .... 3. जिला ....
4. किसान (आवेदक) का नाम ....
5. पिता / पति का नाम ....
6. पत्राचार का पता :
   ग्राम.......................... पोस्ट .... थाना ...., दूरभाष / मोबाईल संख्या ....
7. कुल जोत का रकबा(एकड़ में) ....8. बुआई की गई धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसल के जोत का कुल रकबा..........
9. बैंक एवं शाखा का नाम जहाँ कृषक का खाता है .... 10. खाता संख्या..........................
11. बैंक का आई० एफ० एस० सी०(IFSC) कोड ....
12. सिंचाई किए जाने वाले खेत की चौहद्दी :
    उत्तर : .... दक्षिण : .... पूरब : .... पश्चिम : ....
13. मैने .... एकड़ खेत में सिंचाई के लिए .... लीटर डीजल .... (अधिकृत विक्रेता / पेट्रोल पम्प का नाम) से क्रय किया है। अधिकृत विक्रेता से प्राप्त कैशमेमो ऊपर निर्धारित स्थान पर चिपकाया गया है / संलग्न किया गया है। मेरे द्वारा पटवन दिनांक.............. से .... तक किया गया है।
    मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर दिए गए विवरण सही है। इसमें कोई त्रुटि पाए जाने पर मैं अनुदान की राशि वापस कर दूँगा।

किसान (आवेदक) का पूरा नाम, हस्ताक्षर एवं तिथि

किसानों के खेत के समीप के खेत में खेती करने वाले का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक किसान मेरे खेत के नजदीक वाले खेत में खेती करते हैं। इन्होने आवेदन में दर्शाये गये तिथि को सिंचाई किया है।

तिथि :........./........./..........

नजदीकी किसान का पूरा नाम, पता एवं हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद

नाम .... पिता/पति का नाम ....ग्राम .... पंचायत ....मैं डीजल अनुदान हेतु दिनांक .... को आवेदन प्राप्त किया।

प्राप्तकर्ता का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर

नोट–जो लागू नही हो उसे कृपया काट दें। अपूर्ण आवेदन स्वीकार नही किये जावेंगे।